न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1506

1. फूला पुत्र गोपाल, जाति यादव निवासी ग्राम भानीपुरा (रायपुर जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश पुत्र प्रभात
2. जगदीश पुत्र प्रभात
3. कानाराम पुत्र ओमकार
4. बंशीधर पुत्र ओमकार
5. शिम्भूदयाल पुत्र मुला
6. दीपक पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद पुत्र मुला
समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम–भानीपुरा (रायपुर जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।
7. कालू पुत्र स्व. भागू जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम–भानीपुरा (रायपुर जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।
8. रामचन्द्र पुत्र स्व. भागू
9. बाबूलाल पुत्र स्व. भागू
10. छोटी पत्नी स्व. भागू
समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम–भानीपुरा (रायपुर जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर नीमकाथाना।
12. सब रजिस्ट्रार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
13. पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
14. सीताराम पुत्र ओमकार
15. राजेन्द्र पुत्र ओमकार
16. बालीराम पुत्र मुला
17. महेश पुत्र मुला
18. मुकेश पुत्र मुला
समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम–भानीपुरा (रायपुर जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्र्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना निर्णय दिनांक 16.08.2024 अपील संख्या 14/2021 उनवानी कैलाश व अन्य बनाम फूला पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री राजेश रुहेला, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 6 व 14 लगा0 18 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 की ओर से उपस्थित।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक :– 20.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 16.08.2024 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 366 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 13.03.2024 राजस्व ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 16/2023 उनवानी फूला बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अन्तर्गत धारा 135 (1) एलआरएक्ट में पारित आदेश दिनांक 3.12.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 व पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही निरस्त फरमाया जावे व आदेश के पूर्व की स्थिति बहाल फरमायी जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर विधि विरूद्ध पाये जाने पर अपास्त करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट फूला पुत्र गोपाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना दिनांक 16.08.2024 एवं नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा, पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर को बहाल किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि दिनांक 29.04.2023 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 की ओर से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प जुगराजपुरा में श्रीमान तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर को भूमियां पुराने खसरा नम्बर 551 व 861 तन ग्राम रायपुर जागीर के सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी की पालना में उनके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने निमित आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मांगी गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण दिनांक 3.12.2023 को धारा 135 (1) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा नम्बर 16/2023 के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 26.12.2023 आदेशिका दिनांकित 3.12.2023 के अनुसार नामान्तरकरण भरे जाने हेतु आदेश पारित किया गया। आदेश दिनांक 26.12.2023 की पालना में पटवारी हल्का रायपुर जागीर द्वारा दिनांक 12.03.2024 को नामान्तरकरण संख्या 366 भरा गया जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.03.2024 को स्वीकृत कर दिया गया तथा नामान्तरकरण के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से दिनांक 21.06.2024 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर नीमकाथाना के यहा अपील संख्या 14/2024 उनवानी कैलाश बनाम फूला आदि मियाद बाहर रूप से विरूद्ध उनवानी प्रकरण राज्य सरकार संख्या 16/2023 अन्तर्गत धारा 135 (1) में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 3.12.2023 जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 के बाबत प्रस्तुत की गयी जिसका निस्तारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 16.08.2024 के जरिये किया जाकर नामांतकरण संख्या 366 दिनांक 16.08.2024 के लिये ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर को अपास्त किये जाने बाबत निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2024 विरूद्ध कानून तथा विरुद्ध पत्रावली है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उनके समक्ष पेश की गयी अपील के दो बिन्दु निर्धारित करते हुये अपील का निस्तारण किया गया है प्रथम बिन्दु क्या अपील मियाद अधिनियम के अन्तर्गत है योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मियाद बिन्दु को केवल मात्र सरसरी तौर पर ही निस्तारित करते हुये अवैध रूप से अपील को मियाद शुमार कर लिया गया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पेश की गयी अपील के निस्तारण में जो द्वितीय बिन्दु की न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पालना बिना इजराय तहसीलदार द्वारा की जा सकती है का निस्तारण भी सर्वथा अवैध रूप से किया गया जबकि विधि अनुसार ऐसे किसी इजराय में आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र जिसमें न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री भी शामिल है की जांच करके विधि अनुसार कार्यवाही करते हेतु तहसीलदार पूर्णतया सक्षम होता है तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा वैध रूप से न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में नामांतकरण की कार्यवाही की गयी है जो पूर्णतया वैध है परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय के जरिये नामांतकरण संख्या 366 दिनांकित 13.03.2024 को अपास्त किया गया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय स्थित रखे जाने योग्य नही होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस विधिक स्थिति की ओर गौर नही किया गया कि जिस नामांतकरण संख्या 366 दिनांकित 13.03.2024 को उनके द्वारा अपास्त किये जाने निमित आदेश पारित किया गया है यह एक आदेश के आधार पर भरा गया तथा उक्त आदेश आज दिन भी कायम है आदेश के कायम रहते हुये आदेश के आधार पर भरा गया नामांतकरण अपास्त नही किया जा सकता है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नही है प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलान्ट की ओर से योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये क्रोस आब्जेक्शन का निस्तारण नही किया गया इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम विवादित भूमियों को राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने निमित आदेश पारित कर दिया गया है जबकि उनका नामांतकरण संख्या 366 दिनांक 13.3.2024 के जरिये जिन भूमियों की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गयी है उक्त भूमियों के किसी भी हक हिस्से से उनका कोई सम्बन्ध सरोकार नही है इसलिये वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 बसाजिश रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 अपीलाधीन निर्णय की क्रियाविन्ती की आड मे अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमियों में से अपीलान्ट के हक आधिपत्य की भूमियां खसरा नम्बर 388 व 389 तन ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना को अन्यत्र हस्तांतरित प्रभारित करने उपरोक्त भूमियों के मौके व रिकार्ड की स्थिति मे परिवर्तन करने की कुचेष्टा करने मे लगे है इसलिये न्यायहित मे ता दौराने अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2024 की क्रियान्विति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थगित रखे जाने तथा भूमियां खसरा नम्बर 388 व 389 तन ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने निमित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एवं रस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13 को जरिये निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है।

दिनांक 16.08.2024 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा उनवानी प्रकरण फूला बनाम राज्य सरकार प्रकरण संख्या 16/2023 अन्तर्गत धारा 135 (1) निरस्त फरमाया गया जिसके बाबत प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा अपीलार्थी फूला से कथन कहे गये की अपीलार्थी फूला की उम्र काफी हो गयी है तथा न्यायालय में आने जाने व पैरवी करने मे फूला को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है इस कारण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 16.08.2024 के विरूद्ध अपील मेरे नाम से प्रस्तुत कर देता हूँ तथा अपीलार्थी फूला को प्रत्यर्थी बना देता हूँ जिससे अपीलार्थी फूला को न्यायालय में आना जाना भी नही पडेगा तथा वकील का खर्चा भी बचेगा। प्रत्यर्थी संख्या 7 कालू द्वारा अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय सीकर के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात कालान्तर मे उक्त अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश वगैरा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहा स्थानान्तरित की गयी तथा प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 25.04.2025 को नियत की गयी तथा दिनांक 3.06.2025 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.06.2025 नियत की गयी किन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पूर्व अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश अपील संख्या 701/2025 में अपीलार्थी कालू द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से मिलीभगत कर तथा बिना प्रत्यर्थी संख्या 7 फूला जो माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लम्बित अपील उनवानी फूला बनाम कैलाश मे अपीलार्थी है की बिना सहमति व जानकारी के अपील विड्रा कर ली जिसकी जानकारी अपीलार्थी फूला को दिनांक 16.06.2025 को तब हुयी जब फूला के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में फूला की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना लगा तब न्यायालय मे रीडर महोदय द्वारा फूला के अधिवक्ता से कथन कहे गये की माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश, अपीलार्थी कालू द्वारा विड्रा कर ली गयी है तब फूला के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से फूला के साथ हुये उक्त धोखाधड़ी के बाबत निवेदन किया गया तब माननीय न्यायालय द्वारा फूला के अधिवक्ता को उक्त अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व मे लम्बित अपील कालू बनाम कैलाश जिसमे अपीलार्थी फूला के वैधानिक व साम्पत्तिक अधिकारों का निश्चय होना था किन्तु पूर्व अपील के अपीलार्थी कालू द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से मिलीभगत करके व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के वर्तमान अपीलार्थी फूला के वैधानिक व खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात किया है तथा कालू द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत अपील विड्रा करने के बाबत कोई भी जानकारी अपीलार्थी फूला को नहीं दी गयी तथा ना ही पूर्व में प्रस्तुत अपील विड्रा करने बाबत कालू द्वारा फूला से कोई सहमति ली गयी इस प्रकार पूर्व अपील के अपीलार्थी कालू द्वारा, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के अपीलार्थी फूला के साथ धोखा धडी की गयी चूंकि माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष कार्यवाही अपीलार्थी फूला द्वारा स्वंय के नाम से निष्पादित की गयी है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार महोदय से निर्णय पारित करवाया गया। अपीलार्थी को पूर्व अपील के अपीलार्थी कालू द्वारा विड्रा की गयी अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश के विड्रा करने की जानकारी दिनांक 16.06.2025 से पूर्व कतई नहीं रही है। उपरोक्त प्रकार से अपील को विड्रा की जानकारी होने पर अपीलार्थी फूला द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2025 को पूर्व अपील उनवानी कालू बनाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कैलाश की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 20.06.2025 को प्राप्त हुयी जिससे अपीलार्थी को पूर्व अपील के अपीलार्थी कालू की धोखा धड़ी के बारे मे समस्त तथ्यों की जानकारी हुयी। माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2024 की अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश में अपीलार्थी फूला को बहैसियत प्रत्यर्थी संख्या 7 को पक्षकार बनाया गया था तथा कालू द्वारा धोखाधडी करके व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 से मिलीभगत करके उक्त अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश विड्रा कर ली जिससे अपीलार्थी के वैधानिक व खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 7 कालू द्वारा दिनांक 9.06.2025 को विड्रा की गयी अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश प्रकरण संख्या 701/25 की व विड्रा की जानकारी दिनांक 16.06.2025 को होने तथा उक्त अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थी अपनी खातेदारी अधिकारों से महरूम रह जायेगा तथा अपीलार्थी को वैधानिक व साम्पत्तिक अधिकारों का नुकसान कारित होगा।

ऐसे मे न्यायोचित व आवश्यक है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 7 कालू द्वारा विड्रा की गयी अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश प्रकरण संख्या 701/25 की जानकारी दिनाक 16.06.2025 को होने तथा अपील तैयार करने व अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थी अपनी खातेदारी अधिकारों से महरूम रह जायेगा तथा अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 7 कालू द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील उनवानी कालू बनाम कैलाश प्रकरण संख्या 701/2025 के विड्रा किये जाने की दिनांक 9.06.2025 की जानकारी दिनांक 16.06.2025 को होने तथा अपील तैयार करने व अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किये जाने के आदेश पारित करने की महती कृपा करे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2024 निरस्त फरमाया जाये एवं नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर बहाल किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 व 14 लगायत 18 के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि राजस्व ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थिति भूमि खसरा नं. 296, 349, 350, 388, 389 कुल किता 5 कुल रकबा 4.90 है० सम्पूर्ण कि खातेदारी अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अनुसार चली आ रही है। इसी के अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 कि ओर से दिनांक 29.04.2023 को एक प्रार्थना–पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 में प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के प्रकरण संख्या 46/1993 उनवानी फूला बनाम ओंमाकार आदि में जारी डिक्री दिनांक 23.06.2000 कि पालना में प्रार्थीगण के हक में नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र कि जाँच पटवारी हल्का रायपुर जागीर कि जाँच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 551 रकबा 0.39 है० सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 861 रकबा 3.85 है0 में से 2.61 है0 का वादीगण को तथा खसरा नं. 1019 कि खातेदारी पूर्ववत प्रतिवादीगण के नाम राजीनामें के अनुसार दिनांक 23.06.2000 को डिक्री जारी की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्व ग्राम रायपुर जागीर के साबिक खसरा नं. 551, 861, 1019 से नये खसरा नं. 296, 349, 350, 388, 389 बने जो वर्तमान राजस्व ग्राम भानीपुरा में है। अपीलान्ट्स अपनी भूमि खसरा नं. 388, 389 सम्पूर्ण पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलाधीन आक्षेपित आदेश दिनांक 03.12.2023 में वर्णित आदेश उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के प्रकरण संख्या 46/1993 फूला बनाम ओंमकार आदि में जारी डिक्री आदेश दिनांक 23.06.2000 के आधार पर अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नं. 388, 389 तन ग्राम भानीपुरा की खातेदारी समाप्त कर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी दिये जाने के आदेश पारित किये। पटवारी हल्का ने मिथ्या रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे कि गलत व अवैध पेश कर अपीलान्टस को बिना कोई नोटिस जारी किये गलत व अवैध प्रस्तुत कि गयी है। उक्त गलत व अवैध रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश 03.12.2023 व इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 स्वीकार किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना जारी डिक्री के निस्पादन कि अवधि भारतीय मियाद अधिनियम कि धारा 136 के तहत 12 वर्ष कि मियाद है। उक्त निर्णय व डिक्री जो शून्य हो चुकी थी के आधार पर गलत व अवैध रूप से आक्षेपित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2023 को अधीनस्थ अदालत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पारित कर उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 366 दर्ज करने में कानूनी भूल की है।

किसी भी न्यायालय कि डिक्री का निस्पादन न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट्स कि ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) उनवानी प्रकरण फूला बनाम कैलाश मुकदमा नं.. 79/2021 का रेस्पोडेन्ट कि भूमि खसरा नं 388 व 389 बाबत् अपीलान्ट के विरूद्ध उद्घोषणा का पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ने दर्ज किया है कि तथाकथित मुकदमा 46/1993 उनवानी फूला बनाम ओंमकार में इजराय पेश नहीं हुआ है। इजराय प्रार्थना-पत्र पेश करना चाहा जिस पर प्रार्थना-पत्र मियाद बाधित होने के कारण इजराय की कार्यवाही नहीं हो सकी। अपीलाधीन आदेश कि नकल दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा बाला-बाला की गयी एक पक्षीय कार्यवाही के बाबत् ओलमा दिया तो रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स को धमकी दी कि हमारे नाम दर्ज भूमियों को जबरन रहन, बैय, मुंतकिल ताकत के बल पर करेंगे और अपीलान्ट्स को बेदखल कर देगें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर विधि विरूद्ध पाये जाने पर अपास्त करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्षों में मुख्य विवाद विवादित भूमि के सम्बन्ध में हाल अपीलान्ट फूला वगैरह की ओर से दिनांक 29.04.2023 को एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 में प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के प्रकरण संख्या 46/1993 उनवानी फूला बनाम ओंमकार आदि में जारी डिक्री दिनांक 23.06.2000 व राजीनामा की पालना में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 फूला वगैरह के हक में नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के प्रकरण संख्या 46/1993 उनवानी फूला बनाम ओंमकार आदि में जारी डिक्री दिनांक 23.06.2000 व राजीनामा के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने आदेश दिनांक 03.12.2023 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 स्वीकृत किये जाने को लेकर है।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल अपीलान्ट फूला वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2023 प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उनवानी प्रकरण संख्या 46/1993 फूला वगैरह बनाम औंकार वगैरह में जारी डिक्री आदेश दिनांक 23.06.2000 की पालना में राजस्व ग्राम रायपुर जागीर हाल भानीपुरा की भूमि के नया ख.नं. 389 (ख0नं0 551 पुराना) रकबा 0.39 है0 सम्पूर्ण तथा नया खसरा नम्बर 388 रकबा 3.85 है0 (पुराना 861) में से 2.61 है0 का हाल अपीलान्ट फूला वगै0 के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(1) भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रकरण संख्या 16/2023 उनवानी फूला बनाम राज0 सरकार दर्ज किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी, पटवार हल्का रायपुर जागीर से करवायी गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय व राजीनामा एवं वर्तमान में राजस्व रेकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 03.12.2023 पारित किये गये हैं।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 03.12.2023 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 स्वीकृत किये जाने से व्यथित होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की अपील में यह विवेचन किया गया कि "प्रस्तुत प्रतिलिपि न्यायालय उपंखण्ड अधिकारी नीम का थाना दावा संख्या 46/1993 फूला बनाम ओंकार आदि के अवलोकन से जाहिर होता है न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2000 को निर्णय निर्णय व डिक्री जारी की गयी है। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि न्यायालय के आदेश की पालना में इजराय जारी की गयी हो। रेस्पोडेन्ट द्वारा भी इजराय संबंधी कोई पत्रावली हेतु इजराय पत्रावली में जारी आदेश के अनुसार राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाता है। हस्तगत अपील में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रशासन गॉव के संग अभियान 2023 में रेस्पो. नं. 1 से प्रार्थना–पत्र लेकर निर्णय पारित किया गया जो कानूनन गलत है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को यह जानकारी होते हुये कि न्यायालय के आदेश/डिक्री की पालना न्यायालय द्वारा जारी इजराय से होती है कि अवहेलना की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गयी है" के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर विधि विरूद्ध पाये जाने पर अपास्त करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल अपीलान्ट फूला वगैरह ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2023 प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उनवानी प्रकरण संख्या 46/1993 फूला वगैरह बनाम औंकार वगैरह में जारी डिक्री आदेश दिनांक 23.06.2000 व हाल अपीलान्ट व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 28.06.2003 को उपखण्ड अधिकारी नीमाथाना द्वारा स्वीकार किया गया है जिसकी पालना में राजस्व ग्राम रायपुर जागीर हाल भानीपुरा की भूमि के नया ख.नं. 389 (ख0नं0 551 पुराना) रकबा 0.39 है0 सम्पूर्ण तथा नया खसरा नम्बर 388 रकबा 3.85 है0 (पुराना 861) में से 2.61 है0 का हाल अपीलान्ट फूला वगै0 के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(1) भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रकरण संख्या 16/2023 उनवानी फूला बनाम राज0 सरकार दर्ज किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी, पटवार हल्का रायपुर जागीर से करवायी गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय डिक्री दिनांक 23.06.2000 व राजीनामा एवं वर्तमान में राजस्व रेकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 03.12.2023 पारित किये गये हैं।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 03.12.2023 की पालना में ही नामा0 संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 स्वीकृत किया गया था। यद्यपि रेस्पोडेन्ट ने जिस आधार पर कि मुकदमा नम्बर 46/1993 उनवानी फूला बनाम ओंकार में रेस्पो. द्वारा इजराय पेश नहीं की गयी। न्यायालय आदेश की पालना में इजराय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना द्वारा सही मानते हुए अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया, किन्तु हमारा विनम्र मत है कि उक्त प्रकरण पक्षकारों के मध्य वर्ष 1993 से लम्बित था। दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने पर निर्णय/ डिक्री दिनांक 23.06.2000 को हुआ है। तत्श्चात् प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने वर्ष 2024 में नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर स्वीकृत गया है। जिसको हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने पुनः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष चुनौती दी गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने पुनः निरस्त किया गया। दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद अनेक वर्षों से लम्बित है, जबकि परस्पर सहमति से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में इस पर निर्णय किया जा चुका था। जिस प्रकरण में निर्णय गुणावगुण एवं राजीनामा के आधार पर किया जा चुका है। उसे मात्र प्रक्रियात्मक कमी के कारण पुनः निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है और वाद बहुलता को बढ़ावा देना है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2024 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर को बहाल किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2024 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 13.03.2024 ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर को बहाल किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर